विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव , मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-32 का उत्तर ।

प्रश्न		उत्तर
32 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मथुरा के थाना सुरीर में सड़क दुर्घटना में मृत कृषकों के सम्बन्ध में दर्ज एफ0आई0आर0 नम्बर 336/2020 दिनांक 13 दिसंबर, 2020 में सभी मृत कृषकों के आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का भुगतान करा दिया गया है?	जनपद मथुरा के थाना सुरीर में सड़क दुर्घटना में मृत कृषक के सम्बन्ध में दर्ज एफ0आई0आर0 नम्बर 336/2020 दिनांक 13 दिसंबर , 2020 में निम्न 04 व्यक्ति मृत हुए थे- 1- यादराम सिंह पुत्र मदनलाल निवासी मांटमूला तहसील मांट जनपद मथुरा 2- रज्जो पुत्र रामा निवासी मांट राजा तहसील मांट जनपद मथुरा 3- रामू उर्फ रामनरायन पुत्र घनश्याम निवासी मांट मूला तहसील मांट जनपद मथुरा 4- सुरेश चन्द्र रावत पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी मांट मूला तहसील मांट जनपद मथुरा उपरोक्त में से स्व० यादराम सिंह के वारिसान श्रीमती अनारदेवी पत्नी यादराम सिंह व उदयसिंह व श्यामसुन्दर पुत्रगण यादराम सिंह को रु0 500000-00, स्व0 रज्जो के वारिसान श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 रज्जो व नन्दकिशोर व शिवकुमार पुत्रगण स्व० रज्जो को रु0 500000-00 व स्व0 रामू उर्फ रामनरायन के वारिसान ग्रीशादेवी पत्नी स्व0 रामू उर्फ रामनरायन को रु0 500000-00 का भुगतान किया जा चुका है।
(ख)	क्या उक्त एफ0आई0आर0 में इंगित दुर्घटना में मृत कृषकों का पंचनामा न हो पाने के कारण कुछ आश्रितों कों किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है?	उपरोक्त क्रमांक 4 पर अंकित स्व० सुरेशचन्द्र रावत पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी मांट मूला तहसील मांट जनपद मथुरा के वारिसान श्रीमती राजकुमारी पत्नी सुरेशचन्द्र रावत व आनन्द कुमार रावत व आलोक रावत व अरूण रावत पुत्रगण स्व० सुरेशचन्द्र रावत निवासी मांटमूला बांगर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी मांट की आख्या दिनांक 25-03-2022 के द्वारा इनका दावा शव - विच्छेदन रिपोर्ट एवं पंचनामा न होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी तथा गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या 1/2020 / मु०स०-11/1-9-2020-2एफ / 2018 दिनांक 28-02-2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति योग्य न पाते हुए दिनांक 23-05-2022 को दावा निरस्त कर दिया गया । अतः इनके वारिसान को भुगतान नहीं हुआ ।
(ग)	यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटना में मृत सभी कृषकों के आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का भुगतान कब तक करायेंगे?	उपरोक्त सभी मृतकों के सम्बन्ध में उनके सभी वारिसानों के दावों के प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री